न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 32/2021बउनवानी राजा लक्ष्मीकान्त बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पुत्र श्री हरिचरण शर्मा,नि0कुशलगढ ग्रुप,एम.एम.कोर्ट के पीछे, नृसिंह कॉलोनी गंगापुर सिटी **GCMS No-2021/73**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.7. 2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 18.3.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-

1. गंगापुर मे राजस्थान सरकार की योजना इन्दिरा रसोई का कार्य शहर की किन-किन संस्थान को दिया गया है। संस्थान के नाम व उनके रजिस्ट्रेशन तथा कार्यकारणी की सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
2. राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई के तहत कितनी राशि दी जा रही है।
3. उपखण्ड क्षेत्र मे कुल कितनी समजा सेवी संस्था संचालित है सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./2021/25 दिनांक 21.6.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 18.3.2021 मे चाही गयी सूचना का संबंध आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी के कार्यालय से होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन पत्र तत्समय जरिये पत्रांक आरटीआई/2020/13-14 दिनांक 22.3.2021 से अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत आयुक्त नगर परिषद गंगुापर सिटी के कार्यालय को अन्तरित कर आवेदक को सूचित कर दिया गया था। आवेदक को उक्त अपील आयुक्त नगर परिषद के विरूद्व सक्षम ऑथर्टी के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए थी। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.3.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 में चाही गयी सूचना का संबंध उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय से ना होकर आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ सवाईमाधोपुर के कार्यालय से होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन पत्र तत्समय ही जरिये पत्रांक आरटीआई/2020/13-14 दिनांक 22.3.2021 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत संबंधित कार्यालयों को अंतरित कर आवेदक को सूचित कर दिया गया था। आवेदक को उक्त अपील आयुक्त नगर परिषद के विरूद्व सक्षम ऑथर्टी के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए थी। इस प्रकार चाही गयी सूचना का संबंध उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय से नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:41:29 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर